दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायससाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, शनिवार 28 सितम्बर 2019 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 03

महत्वपूर्ण एवं खास

बिपिन रावत बने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख

» वायुसेना प्रमुख धनोआ से लिया चार्ज

नई दिल्ली (आरएनएस)। थलसेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (सीओएससी) के अध्यक्ष बन गए हैं। इससे पहले यह पद वायुसेना प्रमुख एयरचीफ मार्शल बीएस धनोआ के पास था। सीओएससी तीनों सेनाध्यक्षों को मिलकर बनी हुई एक कमेटी है। हमेशा इसका अध्यक्ष तीनों सेनाध्यक्षों में जो सबसे वरिष्ठ होता है उसके पास होता है। वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ इस महीने की 30 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। जिसके बाद वरिष्ठता की सूची में थलसेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत का स्थान है। जनरल बिपिन रावत 31 दिसंबर को रिटायर होंगे। उन्होंने 31 दिसंबर, 2016 को सेना प्रमुख पद संभाला था। बता दें कि एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने 29 मई को नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा से सीओएससी अध्यक्ष का प्रभार लिया था।

सलमान खान को कोर्ट से मिली हाजिरी माफी

» काला हिरण शिकार केस

जोधपुर (आरएनएस)। सलमान खान के काला हिरण शिकार मामले में शुक्रवार को जिला व सेशन जिला जज चंद्र कुमार सोनगरा की कोर्ट में सुनवाई हुई. सलमान को आज कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उनके वकील ने कोर्ट में नियमित हाजरी माफी की अर्जी पेश की. इस पर कोर्ट ने सलमान की अर्जी को स्वीकार करते हुए उनको हाजिरी माफी दे दी. इम मामले में अब 19 दिसंबर को अगली सुनवाई होनी है. सलमान खान के वकील की ओर से पेश की गई 205/1 सीआरपीसी की अर्जी में उनके फिल्मों की शूटिंग में बिजी होने का हवाला दिया गया है. शुक्रवार को सलमान खान का मामला वाद सूची में क्रम संख्या 1 और 2 पर दर्ज था. काला हिरण शिकार मामले में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी. उसके बाद सलमान की ओर से पेश की गई अपील पर शुक्रवार को जिला व सेशन जिला जज कोर्ट में सुनवाई हुई है. उल्लेखनीय है कि डीजे ग्रामीण कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सलमान के वकील से कहा था कि लंबे समय से सलमान हाजिरी माफी ले रहे हैं. अगली पेशी के दौरान उन्हें पेश होने के लिए कहें. सलमान के वकील निशांत बोड़ा ने 4 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान भी सलमान के नहीं पहुंचने पर उनकी ओर से कोर्ट में हाजिरी माफी पेश की थी. सूरज बड़जात्या की फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान वर्ष 1998 में सलमान खान और सह कलाकारों पर कांकाणी गांव में काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था. इसमें सलमान को दोषी मानते हुए सीजेएम देवकुमार खत्री की कोर्ट ने उन्हें पांच साल की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने इस मामले में सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था.

पुणे में भारी बारिश से अब तक 17 लोगों की मौत

» आज भी बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज

पुणे (आरएनएस)। महाराष्ट्र के पुणे जिले में मूसलाधार बारिश के बाद आई विनाशकारी बाढ़ में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है. जिला प्रशासन ने शुक्रवार को भी शहर के स्कूलों के साथ-साथ हवेली, भोर, पुरंदर और बारामती तहसीलों में अवकाश घोषित किया है. जेजुरी के पास करहा नदी पर बने नजारे बांध से पानी छोड़े जाने के बाद बारामती तहसील में लगभग 2,500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. पुलिस ने बताया कि पुणे शहर और जिले के निचले इलाकों में बाढ़ के कारण लगभग 3,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया. गुरुवार सुबह अधिकारियों द्वारा कहा गया था कि लगभग 15,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों की मौत पर दुख जताया. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की टीमें शहर और बारामती तहसील में तैनात की गई है और प्रभावित क्षेत्र में सभी जरूरी सहायता मुहैया कराई जा रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने 138 दिनों में मरदु फ्लैट गिराए जाने का दिया आदेश

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि केरल में कोच्चि के तटीय क्षेत्र पर बने मरदु फ्लैटों को केरल सरकार द्वारा दी गई समय सीमा के मुताबिक 138 दिनों में गिरा दिया जाए। कोर्ट ने हर प्रभावित मरदु फ्लैट मालिक को 4 सप्ताह में अंतरिम मुआवजे के तौर पर 25-25 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा दिए जाने का भी आदेश दिया।

उच्चतम न्यायालय ने कोच्चि के तटीय क्षेत्र में बने मरदु फ्लैटों को 138 दिन के भीतर गिराने और फ्लैट मालिकों को चार सप्ताह के भीतर 25-25 लाख रूपए अंतरिम मुआवजा देने का शुक्रवार को केरल

सरकार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट्ट की पीठ ने इसके साथ ही इन इमारतों को गिराने की कार्रवाई की निगराने करने और कुल मुआवजे का आकलन करने के लिये उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच समिति गठित करने का भी आदेश दिया। पीठ ने कोच्चि के तटीय जोन इलाकों में गैरकानूनी इमारतों का निर्माण करने में संलिप्त बिल्डरों और प्रमोटरों की संपत्तियां जब्त करने का भी आदेश दिया। पीठ ने कहा कि सरकार अवैध रूप से इमारत बनाने वाले बिल्डरों और प्रमोटरों से अंतरिम मुआवजे की राशि वसूल करने पर विचार कर सकती है। इस मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को हालांकि केरल के मुख्य सचिव टाम जोस न्यायालय में मौजूद थे, लेकिन पीठ ने कहा कि अब 25 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान उनकी उपस्थिति जरूरी नहीं होगी। केरल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने पीठ को सूचित किया कि इन चारों इमारतों की बिजली और पानी की आपूर्ति बृहस्पतिवार को बंद कर दी गयी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इन इमारतों को गिराने में अब और विलंब की कोई वजह नहीं होनी चाहिए।

न्यायालय ने इस संबंध मे फरीदाबाद में कांत एन्क्लेव का उदाहरण दिया जहां गैरकानूनी निर्माण गिराये गये हैं और ऐसे निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों से धन वसूलने की रूपरेखा तैयार की जा चुकी है।

चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम की हुई थी हार्ड लैंडिंग

» नासा ने जारी की तस्वीरें

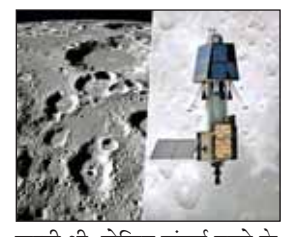

वॉशिंगटन। नासा ने चंद्रयान 2 की लैंडिंग की कुछ हाई रेजॉलूशन तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरों के आधार पर नासा का कहना है कि चंद्रयान-2 के लैंडर विक्रम की चांद के सतह पर हार्ड लैंडिंग हुई। ये हाई रेजॉलूशन तस्वीरें नासा के लूनर ऑर्बिटर कैमरा के जरिए खींची गई हैं। नासा की ओर से जारी बयान के अनुसार, चंद्रमा की सतह पर नासा की हार्ड लैंडिंग हुई, यह साफ है। स्पेसक्राफ्ट किस लोकेशन पर लैंड हुआ, इसके बारे में अभी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। तस्वीरें केंद्र से 150 किलोमीटर दूरी से ली गई हैं। आपको बता दें कि विक्रम को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, लेकिन संपर्क टूटने के कारण यह संभव नहीं हो सका। इसके बाद 7 सितंबर को इसरो के साथ नासा का कनेक्शन पूरी तरह से खतम हो गया।

बता दें कि 7 सितंबर को लैंडर विक्रम को चांद के सतह पर लैंड करना था। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग का यह भारत का पहला प्रयास था। अमेरिकी स्पेस एजेंसी के अनुसार, लैंडिंग साइट से 17 सितंबर को एलआरओ पास हुआ और हाई रेजॉलूशन तस्वीरें वहां से ली है।

बाबरी विध्वंस केस में कल्याण को मिली जमानत

» राम मंदिर पर बोले-अपनी मंशा कोर्ट में बताएंगे

नई दिल्ली (आरएनएस)। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह आज लखनऊ की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश हुए। कल्याण सिंह की तरफ से वकीलों ने कोर्ट में सरेंडर एप्लीकेशन दाखिल की है। पेश होने के बाद कल्याण सिंह की तरफ से जमानत अर्जी भी दाखिल की। अदालत ने कल्याण सिंह को 2 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है।

विशेष सीबीआई अदालत में पेश होने के लिए पहुंचे कल्याण सिंह ने पत्रकारों से कहा कि सीबीआई अदालत ने मुझे आज तलब किया था, इसलिए मैं आया हूं। मैंने हमेशा अदालत का सम्मान किया है और आगे भी करता रहूंगा। जब कल्याण सिंह से राम मंदिर निर्माण पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह अपनी मंशा अदालत में ही बताएंगे। बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत ने कल्याण सिंह को कोर्ट में पेश होने के लिए आदेश जारी किया था जिसके मुताबिक उन्हें 27 सितंबर को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होना था। गौरतलब है कि इस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, महंत नृत्य गोपाल दास जमानत पर हैं जबकि राजस्थान के राज्यपाल पद से हटने के बाद सीबीआई से कोर्ट ने दस्तावेजी प्रमाण की मांग की थी।

हमें जो परेशान करेगा उसे शांति से बैठने नहीं देंगे: राजनाथ

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हम किसी को परेशान नहीं करते, लेकिन यदि कोई हमें परेशान करता है, तो हम उसे शांति से बैठने नहीं देंगे।

रक्षा मंत्री ने कहा कि पड़ोसी देश के आतंकवादी कच्छ से केरल तक फैली हमारी तटरेखा पर बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि जो देश अपने जवानों के बलिदान को याद नहीं रखता, उसका दुनिया में कहीं सम्मान नहीं होता। वहीं, उन्होंने कहा कि हम तटीय एवं समुद्री सुरक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

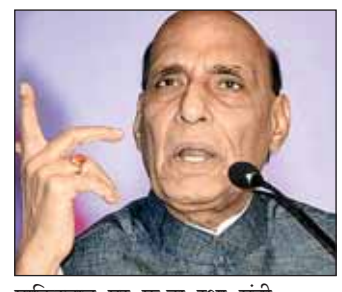

पाकिस्तान पर फू टा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का गुस्सा, बोले कि 1971 की गलती मत दोहराओ वरना पीओके का हाल सोच लेना। इससे पहले राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा था कि पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद से भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता रहता है लेकिन भारत ने कभी उसकी संप्रभुता को चुनौती नहीं दी। इसके साथ ही राजनाथ ने पाकिस्तान को आगाह किया कि वह 1971 की गलती को नहीं दोहराए। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए और बांग्लादेश के रूप में नया देश सामने आया।

भारत किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षमः नाईक

दूसरी ओर केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाईक ने पाकिस्तान से ड्रोन विमानों से पंजाब में हथियार गिराये जाने की घटनाओं को लेकर शुक्रवार को कहा कि भारत किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम है। उन्होंने आईआईटी-दिल्ली में भारत रक्षा और सुरक्षा एक्सपो (आईडीएसई) 2019, के इतर कहा कि आतंकवाद से लड़ते हुए भारतीय सेना मजबूत हुई है। हाल में पंजाब पुलिस की जांच में यह दावा किया गया है कि जीपीएस लगे और 10 किलोग्राम तक का वजन उठा सकने वाले ड्रोन विमानों ने पाकिस्तान से करीब सात-आठ बार आकर भारत में हथियारों का जखीरा, गोला बारूद और जाली मुद्रा गिराये जो पंजाब के तरनतारन जिले में बरामद किए गए। जांच से साथ ही यह संकेत भी मिला है कि ये हथियार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए गिराए गए थे।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सरकार ने हटाई 8वीं पास की शर्त

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में गाड़ी चलाने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के नियम को हटा दिया है। इसकी जगह मंत्रालय का फोकस अब ड्राइवरों को ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग दिलाने पर है।

मंत्रालय ने बताया कि जून में जारी किए गए ड्राफ्ट नोटिफिक्रेशन पर लोगों की आपत्तियों और सुझावों के बाद सेंट्रल मोटर वीइकल्स रूल्स-1989 के नियम 8 को हटा दिया गया है। इसमें कहा गया था कि गाड़ी चलाने के लिए जरूरी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की खातिर व्यक्ति का कम से कम 8वीं क्लास पास होना जरूरी है। इस हफ्ते की

शुरुआत में जारी किए गजट नोटिफिक्रेशन में कहा गया है, 'सेंट्रल मोटर वीइकल्स रूल्स, 1989 के नियम 8 को हटा लिया गया है। यह कदम हरियाणा सरकार की ओर से जून में ड्राइवरों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के नियम को हटाने की अपील के बाद लिया गया है। राज्य सरकार ने कहा था कि आर्थिक रूप से पिछड़े मेवात इलाके की ज्यादातर आबादी जीविका के लिए ड्राइविंग पर निर्भर है और इनमें से कई लोगों ने औपचारिक शिक्षा नहीं ली है।

मंत्रालय ने पहले भी इस बारे में कहा था कि हमारा फोकस ड्राइवरों को ट्रेनिंग मुहैया कराने पर होना चाहिए और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसमें एक रुकावट है। मंत्रालय ने कहा कि मोटर वीइकल्स ऐक्ट 1988 के तहत खुले ड्राइविंग स्कूल और दूसरे इंस्टीट्यूट को यह पक्का करना है कि उनके यहां से ट्रेनिंग लेने वाले ड्राइवर, रोड साइन को पढ़ने में सक्षम हों और ड्राइवर लॉग्स का रखरखाव, ट्रक और टेलर्स की जांच, प्री-ट्रिप और पोस्ट-ट्रिप का रिकॉर्ड सौंपना जैसे दूसरे लॉजिस्टिक कार्यों को कर सकें। सरकार के मुताबिक इस नियम के हटने से बड़ी संख्या में बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। मंत्रालय के मुताबिक इस फैसले से देश के ट्रांसपॉर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर में करीब 22 लाख ड्राइवरों की कमी को भी पूरा करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि ड्राइवरों को ट्रेनिंग मुहैया कराने के लिए देशभर में करीब 2 लाख स्किल सेंटर भी खोले जाएंगे।

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर क्रॉसिंग को 2 दिनों के लिए बंद किया

इस्लामाबाद। पाकिस्तान सरकार ने अफगानिस्तान से लगी सभी सीमा क्रॉसिंगों को दो दिनों तक बंद करने की घोषणा की है। पाकिस्तान ने ऐसा अफगानिस्तान में शनिवार को हो रहे चौथे राष्ट्रपति चुनावों के मद्देनजर किया है। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बीच राहगीरों, व्यापारिक वाहनों की जांच गुरुवार से शुरू कर दी गई और यह प्रक्रिया रविवार तक जारी रहेगी।

विदेश कार्यालय द्वारा गुरुवार को जारी एक बयान में कहा गया, आगामी राष्ट्रपति चुनावों व अफगानिस्तान में परिवर्तन के समर्थन के मद्देनजर पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय किया गया है।

इस बयान में आगे कहा गया है कि इसके संदर्भ में सभी राहगीरों व व्यापारिक वाहनों की कड़ी सुरक्षा जांच का आदेश गुरुवार से रविवार तक दिया गया है, जबकि शुक्रवार व शनिवार को सभी मार्गो/कार्गो टर्मिनलों को बंद कर दिया जाएगा। अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव के मतदान के दौरान हिंसा की भी आशंका है।

शरद पवार के समर्थन में आए राहुल गांधी

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार के समर्थन में आ गए हैं। राहुल गांधी ने कहा है सरकार बदले की भावना से उन पर कार्रवाई कर रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह शरद पवार को निशाना बनाया जा रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि ये मौके की राजनीति है. बता दें कि आज पवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। राहुल गांधी ने ये दावा भी किया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पवार के खिलाफहो रही कार्रवाई से अवसरवाद की बू आती है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कि शरद पवार जी प्रतिशोध वाली सरकार के निशाने पर आए हैं।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले में ईडी ने शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार सहित अन्य 70 के

खिलाफमनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ये घोटाला 25 हजार करोड़ रुपये का है। शरद पवार और जयंत पाटिल समेत बैंक के अन्य डायरेक्टर के खिलाफ बैंकिंग और आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। इन्होंने कथित तौर पर चीनी मिल को कम दरों पर कर्ज दिया था और डिफॉल्टर की संपत्तियों को कोड़ियों के भाव बेच दिया था। आरोप है कि इन संपत्तियों को बेचने, सस्ते लोन देने और उनका पुनर्भुगतान नहीं होने से बैंक को 2007 से 2011 के बीच 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन वित्त मंत्री अजित पवार उस समय बैंक के डायरेक्टर थे।

अल्पसंख्यक ग्रेजुएट लड़कियों को शादी के लिए 50 हजार देगी सरकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार अल्पसंख्यक लड़कियों को शिक्षित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। पढ़ाई करने के लिए उन्हें तरह-तरह से मदद कर रही है, इतना ही नहीं इन बालिकाओं को शादी के लिए 50 हजार रुपये की मदद भी इस शर्त पर दी जा रही है कि पहले आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा।

केंद्र सरकार ने इसी तरह की एक योजना अल्पसंख्यक मंत्रालय के जरिए बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति के नाम से चलाई है। इस योजना के तहत कक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए हर साल छात्रवृत्ति दी जाती है। योजना में आवेदन की आखिरी तारीख 30 सितंबर है. इसका संचालन मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन कर रहा है। बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति योजना के तहत मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय की छात्राओं को पढ़ाई के लिए मदद दी जा रही है। योजना के तहत कक्षा 9 से 10 के तहत पांच हजार और कक्षा 11 से 12वीं तक के लिए छह हजार रुपये की मदद मिलेगी। छात्रवृत्ति की रकम सीधे लाभार्थी छात्रा के बैंक खाते में पहुंचेगी। अल्पसंख्यक मंत्रालय का विभाग मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन यह स्कीम चला रहा है।

योजना का लाभ लेने की यह है शर्त

मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के उपाध्यक्ष अशफाक सैफी ने बताया कि योजना का मकसद पूरी तरह से छात्राओं को

पढ़ाई के लिए प्रेरित करना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए यह जरूरी है कि छात्रा ने अपनी पिछली कक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक नंबर हासिल किए हों. साथ ही उसके माता-पिता की सालाना आय 2 लाख रुपये से अधिक न हो। वहीं कक्षा 9 से 12वीं तक में पढ़ने वालीं छात्रओं को बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जाता है।

छात्रवृत्ति पाने के लिए करना होगा यह काम

आवेदक द्वारा स्व-घोषित अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। छात्राओं को 50 प्रतिशत नम्बरों के साथ पिछले वर्ष की मार्कशीट देनी होगी। माता-पिता की अधिकतम 2 लाख सालाना इनकम का सर्टिफिक्रेट देना होगा। आवेदक छात्रा को आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक की जानकारी देनी होगी। स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित एक सत्यापन प्रपत्र भी अपलोड करना होगा। आवेदन मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन की बेवसाइट पर दिए गए लिंक पर ऑनलाइन भरना होगा।